



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 07 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त फुरकान पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी झुग्गी झोपडी मधुविहार मंडावली फजलपुर दिल्ली, स्थायी पता-कोरबाकू उर्फ पहरूआ थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद द्वारा वर्ष-2021 में एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जनता में हिंसा व भय व्याप्त करने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07-12-2021 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 1316/21 धारा- 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 09.07.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। **इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुआ जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 07.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फुरकान को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त फुरकान का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 1316/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 1001/21 धारा 364,392,302,201,120बी,411 भादवि थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 1003/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 09/1998 धारा 396 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
5. मुअसं- 51/1998 धारा 147,148,149,307,302 भादवि थाना मूंडापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
6. मुअसं- 223/1998 धारा 307 भादवि थाना मूंडापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
7. मुअसं- 224/1998 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मूंडापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
8. मुअसं- 191/1998 धारा 457,380 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
9. मुअसं- 105/1998 धारा 302,380 भादवि थाना जसपुर जनपद ऊधमसिंह नगर ।
10. मुअसं- 337/1998 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना मूंडापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
11. मुअसं- 84/1998 धारा 3(1) गुंडा एक्ट थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
12. मुअसं- 534/2002 धारा 302 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
13. मुअसं- 150/2002 धारा 307 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
14. मुअसं- 551/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।
15. मुअसं- 51/2003 धारा एनएसए थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

मीडिया सैल, बुलन्दशहर